न्यायालय, सहायक कलक्टर एवं पदेन उपखण्ड अधिकारी, जैतारण (जिला–पाली) राज.

पीठासीन अधिकारी : श्री डॉ. भास्कर बिश्नोई, आर0ए0एस0

राजस्व प्रार्थना पत्र संख्या : 167/2012

GCMS No. : 2012/00307

वादीगणः–	बनाम	प्रतिवादीगणः–
1. नीलकण्ठ महादेव मन्दिर श्री लक्ष्मीनारायण जी जरीये अध्यक्ष शिवरतनराज भण्डारी जाति– भण्डारी (जैन) निवासी तहसील–जैतारण, जिला–पाली (राज.)		1. लाबुराम फौत के का0 मु0 1/1 रतन पुत्र लाबुराम 1/2 मोहनलाल पुत्र लाबुराम 1/3 पन्नालाल पुत्र लाबुराम 1/4 नैनीबाई पत्नी लाबुराम जाति–माली(पालड़िया) तहसील–जैतारण, जिला–पाली

राजस्व वाद बेदखली व स्थाई निषेधाज्ञा अन्तर्गत धारा 183,92ए राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955

तारीख रजूः.04/09/2012

उपस्थितः–

1. श्री ओमप्रकाश पंचारिया, अमित त्रिपाठी अधिवक्ता, वादी।

–:: निर्णय ::– **दिनॉकः– 03/09/2020**

वकील मय वादी ने एक राजस्व वाद बाबत् बेदखली व स्थाई निषेधाज्ञा अन्तर्गत धारा 183,92ए राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955, है कि वाद वादी डोली बनाम मन्दिर श्री लक्ष्मीनारायण जी जरिये अध्यक्ष शिवरतनराज भण्डारी की ओर से निम्न लिखित है कि कस्बा जैतारण में मुख्य बाजार के पास नीलकण्ठ महादेव का मन्दिर प्राचीनकाल से स्थित है। इस मन्दिर में महादेव, पार्वती तथा श्रीलक्ष्मीनारायण जी भगवान की मूर्तियां प्रतिस्थापित है। इस नीलकण्ठ महादेव मन्दिर का विधिवत् रूप कार्यालय–सहायक आयुक्त देवस्थान विभाग, जोधपुर से पंजियन भी हो रखा है तथा नीलकण्ठ महादेव मंदिर का विधिवत रूप से ट्रस्ट भी बना हुआ है। जिसकी पंजियन संख्या 9/95 दिनांक – 29.06.1995 को एक पंजियन प्रमाण पत्र है वर्तमान में अध्यक्ष शिवरतनराज भण्डारी है। इस नीलकण्ठ महादेव मंदिर ट्रस्ट जैतारण के अन्तर्गत ही नीलकण्ठ महादेव मंदिर व इसके परिसर में ही श्री लक्ष्मीनारायण मंदिर भी है जिसका अध्यक्ष के नाम का देवस्थान विभाग जोधपुर द्वारा प्रमाण पत्र जारी किया गया है, जिसकी नकल पेश है। सरहद मौजा रतनपुरा पटवार हल्का जैतारण में वादी श्री डोली बनाम मंदिर श्रीलक्ष्मीनारायण के नाम की खातेदारी एवं कब्जे काश्त की कृषि भूमि खसरा नम्बर–78 रकबा–11–19 बीघा किस्म बारानी अव्वल आयी हुई है। नकल जमाबन्दी संवत् 2066 से 2069 की पेश है। उक्त कृषि भूमि वादी मंदिर श्रीलक्ष्मीनारायण जी के नाम की है जो कि शाश्वत नाबालिग है तथा उक्त कृषि भूमि इनके नाम की खुद काश्त की है। यदि उक्त कृषि भूमि में कोई काश्त करता है तो वह काश्त उनके द्वारा ही करनी मानी जाती है। उक्त कृषि भूमि पर प्रतिवा[illegible] कोई हक व अधिकार नहीं है। बतौर अतिक्रमी के उक्त कृषि भूमि पर [illegible] कृषि

सहायक कलक्टर पदेन उपखण्ड अधिकारी जैतारण (पाली)

Signature Not Verified
Digitally signed by Bhaskar Bishno[i]
Date: 2020.10.22 12:12:23 IST
Reason: SelfAttested

भूमि से अतिक्रमण हटाने हेतू वादी ने दिनांक- 11.08.2012 को कहा तो प्रतिवादी द्वारा इन्कार होने पर कोई सन्तोषजनक उत्तर नहीं देने पर, वादी को भविष्य में काश्त करने देने की धमकी देने पर यह बेदखली का व स्थाई निषेधाज्ञा का वाद विरूद्ध प्रतिवादीगण के पेश है। वाद पत्र में वर्णित कृषि भूमि पर एक मात्र खातेदारी अधिकारी वादी भगवान श्रीलक्ष्मीनारायण जी की है। यदि प्रतिवादी उक्त कृषि भूमि से अतिक्रमण नहीं हटाता है तो वादी को जो कि शास्वत नाबालिग है, जिनके जायज हक व अधिकारी से महरूम होना पड़ेगा। जिससे असीम हानी होगी, जिसका मुल्यांकन किसी भी सूरत में संभव नहीं हो सकेगा। कृषि भूमि की आय से ही सेवा, पूजा, मरम्मत होती है। इसलिए उपरोक्त कारणों से वादी द्वारा यह वाद बेदखली का विरूद्ध प्रतिवादीगण है। बिनाय वाद दिनांक - 11.08.2012 को वादी ने प्रतिवादी को उक्त भूमि से अतिक्रमण हटाने बाबत् कहा तो इन्कार होने व संतोष जनक जवाब नहीं देने व वादी को भविष्य में काश्त नहीं करने देने की धमकी देने पर बमुकाम जैतारण में पैदा हुआ जो श्रीमान् के क्षेत्राधिकार व श्रवणाधिकार मे होने से श्रीमान् के समक्ष सादर पेश है।

वादी का वाद दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादीगण को जरिये समन वास्ते जवाबदावा तलब किये गये। प्रतिवादीगण बावजूद सम्मन तामिल सूचना के अनुपस्थित रहने से उनके विरूद्ध एकपक्षीय कार्यवाही की गई। वकील वादी ने वाद के समर्थन में शहादत में साक्ष्य शपथपत्र वादी पीडब्यलू-1 पेश किए, सामिल मिसल किए गए। वादी ने वादपत्र के समर्थन में बतौर साक्ष्य प्रदर्श-1-जमाबन्दी ग्राम रतनपुरा, संवत् 2066-2069, प्रदर्श-2-पंजीयन प्रमाण-पत्र, कार्यालय सहायक आयुक्त देवस्थान विभाग, प्रदर्श 3ए-न्यायालय, सहायक आयुक्त, देवस्थान विभाग, जोधपुर के निर्णय दिनांक 21.08.2007 की प्रति, प्रदर्श-4-न्यायालय सहायक आयुक्त, देवस्थान विभाग, जोधपुर के निर्णय की प्रति, प्रदर्श-3- न्यायालय, सहायक आयुक्त, देवस्थान विभाग, जोधपुर के निर्णय दिनांक 21.08.2007 की प्रति, पेश कर प्रदर्श करवाए जिन्हें शामिल पत्रावली किया गया।

हमनें विद्वान अधिवक्ता वादी की बहस सुनते हुए उस पर मनन किया। पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजात एवं भू. अभिलेख के अवलोकन से यह स्पष्ट है कि वादग्रस्त आराजी खसरा संख्या 78, रकबा 11-19 बीघा, किस्म- बारानी अव्वल जो ग्राम-रतनपूरा, तहसील- जैतारण, में स्थित हैं, तथा "डोली बनाम मन्दिर लक्ष्मीनारायण जी, जैतारण के नाम दर्ज है। इस प्रकार वादग्रस्त आराजी मन्दिर मूर्ति के नाम दर्ज है जोकि "शाश्वत अवयस्क है। प्रदर्श 2A 3A एवं 4 के अवलोकन से यह स्पष्ट है कि वादी द्वारा बतौर अध्यक्ष श्री नीलकंठ महादेव मंदिर ट्रस्ट, जैतारण, जिला- पाली के तौर पर वाद प्रस्तुत किया है। वाद-पत्र के अवलोकन से यह स्पष्ट है कि वादी द्वारा बिना किसी व्यक्तिगत लाभ के शाश्वत अवयस्क मंदिर मूर्ति की भूमि के संरक्षण के लिए वाद दर्ज करवाया गया हैं। समाज के प्रत्येक व्यक्ति कि यह जिम्मेदारी है कि वह शाश्वत अवयस्क मंदिर मूर्ति की संपत्तियों का परिरक्षण करें, ऐसी संपत्तियाँ समाज की सामुहिक धरोहर होती है। वादी के शपथ-पत्र पर अभिव्यक्त इन कथनों से हम पूर्णतया सहमत हैं कि शाश्वत नाबालिग मंदिर मूर्ति की वादग्रस्त आराजी पर प्रतिवादीगण द्वारा बिना किसी हक/अधिकारों के कब्जा किया जाकर उसका व्यक्तिगत उपयोग/उपभोग किया जा रहा है। प्रदर्श 4 के अवलोकन से यह स्पष्ट हैं, कि सहायक आयुक्त, देवास्थान विभाग द्वारा अपनें निर्णय में मंदिर श्री लक्ष्मीनारायण जी को भी श्री नीलकंठ महादेव मंदिर सार्वजनिक प्रन्यास के प्रबंधनाधीन है, परंतु इसका यह तात्पर्य नहीं हो सकता है कि श्री नीलकंठ महादेव मंदिर सार्वजनिक

सहायक कलक्टर पदेन
उपखण्ड अधिकारी
जैतारण (पाली)

Signature Not Verified
Digitally signed by Bhaskar
Date: 2020.10.22 12:12:23
Reason: SelfAttested

प्रन्यास को भू. अभिलेख में दर्ज डोली बनाम मंदिर श्री लक्ष्मीनारायण जी की वादग्रस्त आराजी में कोई हक का अधिकार निहित हो जाते है। इसलिए हम वादग्रस्त आराजी का कब्जा वादी को सुपुर्द करना विधिसंगत नहीं समझते हैं।

अतः हम वाद-वादी आंशिक रूप से स्वीकार करते हुए तहसीलदार, जैतारण को इस निर्देश के साथ निर्णित करना विधिसंगत समझते हैं कि वह वादग्रस्त आराजी और उस पर निर्मित संरचनाओं यदि कोई हो, से प्रतिवादी और प्रतिवादी की ओर से कार्यरत अन्य व्यक्तियों को मौके से बेदखल करेंगे तथा वाद-ग्रस्त आराजी का संरक्षण, संवर्द्धन एवं प्रबंधन प्रशासनिक सुधार विभाग, राजस्थान सरकार के आदेशांक 2002 दिनाँक 07.12.2009 में प्रदत्त निर्देशों के अनुरूप करवाएँगें। भूमि को अस्थाई रूप से एक साला काश्त पर देंगे तथा प्राप्त आय का उपयोग मंदिर एवं मंदिर की भूमि के विकास के लिए किया जाएगा तथा इस हेतू श्री नीलकंठ महादेव मंदिर प्रन्यास जैतारण एवं अन्य परोपकारी संगठनों का सहयोग लिया जा सकेगा।

-: आदेश :-

अतः उपर्युक्त विवेचन के आलोक में वाद-वादी अंतर्गत धारा 183, 92अ राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 सारवान होनें से आंशिक रूप से स्वीकार किया जाता है। तहसीलदार, जैतारण को निर्देश दिए जाते हैं कि वह वादग्रस्त आराजी मौजा रतनपुरा, तहसील- जैतारण की खसरा संख्या 7, रकबा 11-19 बीघा खातेदार डोली बनाम मंदिर श्री लक्ष्मीनारायण से प्रतिवादी सहित इनके वारिसान या नौकर-चाकर को मौके से बेदखल कर अपने कब्जे में ले। वादग्रस्त आराजी का प्रशासनिक सुधार विभाग राजस्थान सरकार के आदेशांक प.6(17)प्र.सु./अनु.3/2002 दिनाँक 07.12.2009 में प्रदत्त निर्देशों की अनुपालना में प्रबंधन, संवर्द्धन एवं संरक्षण करते हुए उसे अस्थाई रूप से नीलामी द्वारा एक-साला काश्त पर देकर प्राप्त आय का उपयोग वादग्रस्त आराजी एवं इससे संबधित मंदिर के विकास एवं प्रबंधन में करें। इस हेतू श्री नीलकंठ महादेव मंदिर प्रन्यास, जैतारण एवं अन्य परोपकारी संगठनों का सहयोग लिया जा सकेगा। भविष्य में किसी प्रकार के अतिक्रमण की दशा में राजस्व विभाग, राजस्थान सरकार के परिपत्राँक3(2)राज. 6/2007/पार्ट/5 दिनाँक 12.09.2018 एवं पत्राँक3(2)राज.6/2007/पार्ट दिनाँक 20.08.2020 में प्रदत्त निर्देशानुसार संबंधित के विरूद्ध धारा 91, राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम, 1956 के तहत कार्यवाही करें। इसी अनुरूप प्रकरण निर्णित किया जाकर डिक्री किया जाता है। पर्चा डिक्री पृथक से जारी हो, जो कि इस निर्णय का भाग होगा, पत्रावली इसी मुताबिक निर्णित होकर संख्या से एक कम होते हुए दाखिल दफ्तर हो।

सहायक कलक्टर एवं पदेन उपखण्ड अधिकारी
अधिकारी जैतारण, (जिला-पाली)

निर्णय आज दिनांक 03/09/2020 को सर-ए-इजलास सुनाया गया।

सहायक कलक्टर एवं पदेन उपखण्ड अधिकारी
अधिकारी जैतारण, (जिला-पाली)

Signature Not Verified
Digitally signed by Bhaskar Bish
Date: 2020.10.22 12:12:23 IST
Reason: SelfAttested

डिक्री बमुकदमें इब्तदाई

(ओ 21 रूल 6,7 जाब्ता दीवानी)

अज अदालत :- सहायक कलक्टर एवं पदेन उपखण्ड अधिकारी, मुकामः- जैतारण

बईजलास :- श्री डॉ. भास्कर बिश्नोई, आर0ए0एस0

वादीगणः-	बनाम	प्रतिवादीगणः-
2. नीलकण्ठ महादेव मन्दिर श्री लक्ष्मीनारायण जी जरीये अध्यक्ष शिवरतनराज भण्डारी जाति- भण्डारी (जैन) निवासी तहसील-जैतारण, जिला-पाली (राज.)		2. लाबुराम फौत के का0 मु0 1/1 रतन पुत्र लाबुराम 1/2 मोहनलाल पुत्र लाबुराम 1/3 पन्नालाल पुत्र लाबुराम 1/4 नैनीबाई पत्नी लाबुराम जाति-माली(पालड़िया) तहसील-जैतारण, जिला-पाली

राजस्व वाद बेदखली व स्थाई निषेधाज्ञा अन्तर्गत मु0न0 :रा0वा0 स0: 167/2012

धारा 183,92ए राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955
अधिनियम, 1955

यह मुकदमा आज वास्ते ईनफिसाल कतई रूबरू .....-..... व हाजरी श्री ओमप्रकाश पंचारिया, अमित त्रिपाठी अधिवक्ता वादी मिनजानिब मुद्धई मिनजानिब मुद्धायलाह पेश होकर हुक्म दिया जाता है वाद-वादी अंतर्गत धारा 183, 92अ राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 सारवान होनें से आंशिक रूप से स्वीकार किया जाता है। तहसीलदार, जैतारण को निर्देश दिए जाते हैं कि वह वादग्रस्त आराजी मौजा रतनपुरा, तहसील- जैतारण की खसरा संख्या 7, रकबा 11-19 बीघा खातेदार डोली बनाम मंदिर श्री लक्ष्मीनारायण से प्रतिवादी सहित इनके वारिसान या नौकर-चाकर को मौके से बेदखल कर अपने कब्जे में लें। वादग्रस्त आराजी का प्रशासनिक सुधार विभाग राजस्थान सरकार के आदेशांक प. 6(17)प्र.सु./अनु.3/2002 दिनाँक 07.12.2009 में प्रदत्त निर्देशों की अनुपालना में प्रबंधन, संवर्द्धन एवं संरक्षण करते हुए उसे अस्थाई रूप से नीलामी द्वारा एक-साला काश्त पर देकर प्राप्त आय का उपयोग वादग्रस्त आराजी एवं इससे संबधित मंदिर के विकास एवं प्रबंधन में करें। इस हेतू श्री नीलकंठ महादेव मंदिर प्रन्यास, जैतारण एवं अन्य परोपकारी संगठनों का सहयोग लिया जा सकेगा। भविष्य में किसी प्रकार के अतिक्रमण की दशा में राजस्व विभाग, राजस्थान सरकार के परिपत्राँक3(2)राज.6/2007/पार्ट/5 दिनाँक 12.09.2018 एवं पत्राँक3(2)राज.6/2007/पार्ट दिनाँक 20.08.2020 में प्रदत्त निर्देशानुसार संबंधित के विरूद्ध धारा 91, राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम, 1956 के तहत कार्यवाही करें। इसी अनुरूप प्रकरण निर्णित किया जाकर डिक्री किया जाता है। पर्चा डिक्री पृथक से जारी हो, जो कि इस निर्णय का भाग होगा, पत्रावली इसी मुताबिक निर्णित होकर संख्या से एक कम होते हुए दाखिल दफ्तर हो।

नीज .....-.....मुबलिक.....-.....बाबत.....-.....खर्चा इस मुकदमें मय सूद व शहर ....-.....फीस सदी सालाना आज की तारीख वसूल याबी तक .....-.....को अदा करे।

सहायक कलक्टर पदेन
उपखण्ड अधिकारी
जैतारण (पाली)

Signature Not Verified

Digitally signed by Bhaskar Bishnoi
Date: 2020.10.22 12:12:23 IST
Reason: SelfAttested

बसिक्त मेरे दस्तखत व मोहर अदालत के आज तारीख 03/09/2020 को जारी किया गया ।

मोहर

सहायक कलेक्टर एवं पदेन
उपखण्ड अधिकारी
जैतारण (पाली)

(जिला-पाली)

मुद्दई	रूपये	पैसे	मुद्दायलाह	रूपये	पैसे
स्टाम्प अर्जी दावा	०५	००	स्टाम्प वकालतनामा		
स्टाम्प वकालतनामा	०१	००	स्टाम्प अर्जी		
स्टाम्प वजह सबूत	०३	००	महनताना वकील		
महनताना वकील		-	खर्चा गवाहान		
खर्चा गवाहान	०६	००	फीस कमीश्नर		
फीस कमीश्नर		-	बाबत ईजराय हुक्मनामा		
बाबत ईजराय हुक्मनामा		-	मुत्फरिक		
मिजानः-	१५	००	मिजानः-	- Nil -	

नोटः- इस खर्चे के फार्म पर कुल खर्चा यह हो फरीकेन को चाहे डिकी के जरिए दिलाया गया हो, नहीं दर्ज किया जावें।

Signature Not Verified

Digitally signed by Bhaskar B
Date: 2020.10.22 12:12:23 IS
Reason: SelfAttested